स्वास्थ्य योजना के लिए विश्व बैंक से ऋण

1873. **प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा**: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो के दौरान विश्व बैंख द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी योजनाओं हेतु ऋण मंजूर किया गया है

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना पर खर्च की जाने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान क्षयरोग व मलेतिया के नियंत्रण के लिए रोग नियंत्रंण कार्यक्रम और कार्नाटक, पश्चिम बंगाल राज्यों में प्रथम रेफरल पद्धति के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य स्वास्थ्य पद्धति विकास परियोजना का चरण-॥ विश्वबैंक की सहायता से शुरू किया गया है। परियोजना परिव्यय और 31.3.1998 तक किए गए व्यय का ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	परियोजना का नाम संख्या	परियोजना परिव्यय (रूपये करोडों में)	31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार किया गया व्यय	आरम्भ हिने का वर्ष
1.	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण पारियोजना	749.28	2.37	1997
2.	राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	891.04	4.30	1997
3.	निम्नलिखित राज्यों को कवर करने वाली राज्य स्वास्थ्य पद्धित विकस परियोजना चरण –॥			1996
	(क) कर्नाटक	546 (लगभग)	60.57	
	(ख) पश्चिम बंगाल	698 (लगभग)	11.71	
	(ग) बंगाल	425 (लगभग)	26.06	

Probe into the affairs of The Dental Council of India

1874. SHRI RAGHAVJI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that a probe had been ordered some months back to investigate, into the Affairs of the dental Council of India;

(b) if so, the details of circumstances leading thereto, members of the enquiry committee and its terms of reference etc.;

(c) whether the report has since been received; and

(d) if so, the details thereof and follow-up action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) to (d) The Central Government has under Section 54 of the Dentists Act, 1948, constituted a Commission of Enquiry to look into the following cases of Violations of the provisions of the Act by Dental Council of India:—

(i) Violation of section 10A (a) & (b), 2(a) & 3(a) & (b) of the Dentists (Amendment) Act, 1993.

In its Annual Report of 1993-94, the Council has listed the names of a number of Dental Colleges, proposals from which were being